



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन 23353503, फैक्स 23753923

वेबसाइट: www.cercind.gov.in



सत्यमेव जयते

याचिका सं. 44/टीएल/2024

दिनांक: 26.4.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीटयुशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा विनियामक टैरिफ तंत्र मोड (इसके बाद "पारेषण योजना/परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "आरई जेनकॉस की संयोजकता प्रदान करने के लिए भुज-II सबस्टेशन में एसटीएम-16 के अतिरिक्त एफओटीई की अपेक्षा" पारेषण योजना के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का कार्यक्षेत्र	कार्यान्वयन समयसीमा
1.	भुज-II स्टेशन में 01 नं. 5 एमएसपी (1+1) एफओटीई (एसटीएम-16 क्षमता) की आपूर्ति और स्थापन	आबंटन की तारीख से 12 माह अर्थात् 6.7.2024 तक
	कुल अनुमानित लागत	रु. 0.30 करोड

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 01.04.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 44/टीएल/2024 में दिनांक 18.04.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 7.05.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 8.05.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव